<u>न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०प्रकरण),झालावाड़ (राजस्थान)।</u>

पीठासीन न्यायाधीश -**बरकत अली**, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप0वि0जमानत आवेदन सं0 114/2026</u>

<u>CiS No. 74/2026</u>

पवन पुत्र रामगोपाल उम्र 35 साल निवासी ज्योति नगर कॉलोनी रेपला रोड बकानी पुलिस थाना बकानी जिला झालावाड (राज.)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य.....**अप्रार्थी/अभियोगी**

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.

प्राथमिकी संख्या-228/2025 थाना बकानी, अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 NDPS Act, सेशन प्रकरण संख्या-136/2025 सरकार बनाम पवन वगैराह

<u>उपस्थितः-</u>

1-श्री राजेन्द्र रावल अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2-श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार विशिष्ठ लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 11.03.2026</u>**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत का यह प्रार्थना-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलायी गयी। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

2- अभियोजन कहानी के अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19-09-2025 को रामेश्वर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बकानी मय जाप्ते के थाने से 10.45 ए.एम. पर रवाना होकर अवैध कार्य एवं गुण्डा बदमाशान की चैकिंग रावण बरडी, मंसूरी मोहल्ला, पिपली तिराया, रेपला रोड, खेडा रोड, बस स्टेण्ड, किला तिराया, थोबडिया करता हुआ 01.00 पी.एम. पर छोटी मोटी घाटी रामचन्द्रपुरिया तिराया के पास आम रोड भालता पहुंच कर नाकाबंदी प्रारम्भ की कि 01.20 पी.एम. पर भालता की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति बैठकर आते हुए नजर आये जो पुलिस जीप व जाप्ते को देखकर वापस मुडने लगे, इतने में मोटरसाईकिल बंद हो गई तथा पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाईकिल पर से

उतरकर बरडी की तरफ भाग गया, मोटरसाईकिल चालक को हमराही जाप्ता की मदद से डिटेन कर यथास्थिति खडे रहने की हिदायत कर नाम पता पूछा तो मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम पवन पुत्र रामगोपाल उम्र 40 साल निवासी ज्योति नगर कॉलोनी रेपला रोड बकानी होना बताया जो काफी घबरा रहा था जिससे पीछे बैठे भागने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछा तो कल्लू उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र घनश्याम निवासी पीपली तिराया बकानी का होना बताया। डिटेनशुदा शख्स पवन से कहां से आ रहा है तथा पुलिस जाप्ते को देखकर वापस मुडने व पीछे बैठे व्यक्ति का मोटरसाईकिल से उतरकर भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। इस पर शख्स पवन की गतिविधि संदिग्ध जान पडने तथा पवन के पास या उसके कब्जे की मोटरसाईकिल में कोई अवैध मादक पदार्थ, हथियार, अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से हमराही जाप्ता में से शिवलाल कानि. को 01.30 पी.एम. पर तलबी गवाहान का लिखित हुक्मनामा दिया जाकर दो स्वतन्त्र गवाह लेकर पेश करने हेतु रवाना किया, शिवलाल कानि. ने वापस आकर हुक्मनामा पर लिखित में जवाब अंकित कर बताया कि मैने आसपास स्वतन्त्र गवाहान की तलाश की, लेकिन सुनसान व गैर आबादी क्षेत्र होने के कारण कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्र गवाह बनने के लिए नही मिला। इसी दरमियान उसके द्वारा भी स्वतन्त्र गवाह की आसपास तलाश की, किन्तु कोई व्यक्ति नही मिला। इस पर हमराही जाप्ता में से शिवलाल व हेमन्त कानि. को गवाह बनने हेतु नोटिस दिया जाकर उनसे लिखित में सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात डिटेनशुदा शख्स पवन को अपना परिचय दिया कि मैं रामेश्वर प्रसाद पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना बकानी में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित हूं। मुझे आपके पास में कोई अवैध मादक पदार्थ, हथियार, अवैध वस्तु होने का संदेह है, आपको धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी अधिकार है कि आप अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के

समक्ष लिवा सकते है, जिसके लिए नजदीकी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया जा सकता है, राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट का अर्थ समझाया गया। यदि आप चाहो तो आपको राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा सकता है, अगर राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट आपकी तलाशी के उचित कारण नही पाते है तो आपको उन्मोचित किया जा सकता है। धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस मूर्तिब कर एक प्रति नियमानुसार पवन को दी गई जिस पर उसने जवाब लिखकर पेश किया कि मैं मेरी इच्छा से मेरी स्वयं की तलाशी आप थानाधिकारी से ही लिवाना चाहता हूं। इस पर उसने अपनी तथा सम्पूर्ण जाप्ता की तलाशी स्वतन्त्र गवाहान को दी व स्वतन्त्र गवाहान की तलाशी उसने ली एवं उसकी, जाप्ता व गवाहान की तलाशी शख्स पवन से भी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही मिली। तत्पश्चात पवन की नियमानुसार उसने तलाशी ली तो पहने हुए पायजामा की बांयी जेब में धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस मिला व पायजामा की दांयी जेब में एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली जिसके रबर लिपटा हुआ जिसमें हल्के भूरे रंग का पाउडर भरा हुआ है व जीओ कम्पनी का काले रंग का कीपेड मोबाईल फोन मिला। शख्स पवन के पायजामा की दांयी जेब में मिली एक पारदर्शी प्लास्टिक की छोटी थैली जिसमें हल्के भूरे रंग का पाउडर भरा हुआ है, जिसका रबर खोलकर देखा, गवाहान को दिखाया व सूंघाया तथा परख की तो पूर्व अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ स्मैक होना पाया तथा शख्स पवन ने भी स्मैक होना बताया। शख्स पवन के कब्जे में मिले मादक पदार्थ स्मैक को अपने कब्जे में रखने बाबत लाईसेंस व अधिकार पत्र चाहा तो कोई लाईसेंस व अधिकार पत्र नही होना बताया। उक्त शख्स पवन बैरागी का बिना लाईसेंस/अधिकार पत्र के अवैध मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जे में रखना व परिवहन करना अपराध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से पवन के कब्जे में मिले अवैध

मादक पदार्थ स्मैक का नियमानुसार तौल किया तो अवैध मादक पदार्थ स्मैक का प्लास्टिक की थैली व रबर सहित कुल वजन 09.65 ग्राम हुआ। उक्त स्मैक को थैली में वापस वैसे ही लपेट कर रबर लगाकर एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क ए दिया गया तथा नियमानुसार मुलजिम पवन को धारा 52 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार प्रकरण से संबंधित अन्य फर्दात तैयार की गई तथा मुलजिम पवन से अवैध मादक पदार्थ स्मैक कहां से लाया बाबत पूछा तो अपने साथी कल्लू उर्फ चन्द्रप्रकाश को साथ ले जाकर मोहनलाल निवासी महुवाखों से खरीद कर लाना बताया। बाद मौका समस्त कार्यवाही वापसी थाना पर प्रकरण संख्या-228/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के धारा-8/21, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र पेश न्यायालय किया गया।

3- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको रंजिशवश झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त 35 वर्ष का नवयुवक है, यदि अधिक समय तक जैल में रहा तो उसके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पडेगा। प्रकरण में आरोप पत्र पेश न्यायालय किया जा चुका है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 23.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

4- विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ स्मैक मय बारदाना 09.65 ग्राम बिना अनुज्ञा पत्र के बरामद की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से भी एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण दर्ज है। अवैध मादक पदार्थ की बढती हुई तस्करी के बढ़ते हुये अपराधों को देखते हुये

जमानत का आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- उभय पक्ष के तर्को को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ स्मैक मय बारदाना 09.65 ग्राम अल्प मात्रा से कुछ अधिक बरामद किए जाने का अभियोग है। अभिलेख के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से निम्नांकित आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैः-

क्र. सं.	मुकदमा नंबर	धारा	आरोप पत्र संख्या	निर्णय न्यायालय
1	28/2006 दि.10.02.2006	4/25 आर्म्स एक्ट	17/20.02.2006	दिनांक 02.07.2008 को न्यायालय एसीजेएम झालावाड द्वारा सजा
2	512/2006	379 भा.दं.सं.	406/13.12.2006	पेण्डिग
3	549/2006(कोतवाली झालावाड)	4/25 आर्म्स एक्ट	407/2006	पेण्डिग
4	06/2008 दि.07.01.2008 (कोतवाली झालावाड)	457, 380 भा.दं.सं.	13/23.01.2008	पेण्डिग
5	300/2008 दि.23.07.2008 (कोतवाली झालावाड)	4/25 आर्म्स एक्ट	200/26.07.2008	पेण्डिग
6	234/2009(कोतवाली झालावाड)	379 भा.दं.सं.	182/24.07.2009	पेण्डिग
7	27/2009(कोतवाली झालावाड)	457, 380 भा.दं.सं.	59/13.03.2009	पेण्डिग
8	230/2010	4/25 आर्म्स एक्ट	161/31.08.2010	पेण्डिग
9	95/2011	16/54 एक्साईज एक्ट	74/29.03.2011	पेण्डिग
10	143/2013, 24.05.2013	4/25 आर्म्स एक्ट	95/28.05.2013	पेण्डिग
11	106/2014 दि. 06.03.2014	4/25 आर्म्स एक्ट	46/14.03.2014	पेण्डिग
12	62/2017(थाना मण्डावर)	8/20 एनडीपीएस एक्ट	62/24.07.2017	पेण्डिग
13	43/2018 दि. 23.02.2018	4/25 आर्म्स एक्ट	36/27.02.2018	पेण्डिग

14	181/2018 दि. 19.09.2018	4/25 आर्म्स एक्ट	141/28.09.2018	पेण्डिग
15	28/2021	8/21, 8/29 एनडीपीएस एक्ट	45/18.03.2021	पेण्डिग
16	115/18.04.2023	8/21 एनडीपीएस एक्ट	एफ.आर.02/06.02.04	

यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध केस डायरी के अवलोकन से उपरोक्त दो प्रकरण एन.डी. पी. एस. एक्ट से संबंधित होना दर्शित होता है, परन्तु इस सम्बन्ध में माननीय उचतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील नं० 153/2020 प्रभाकर तिवारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में यह मत व्यक्त किया है कि-The offence alleged no doubt is grave and serious and there are several criminal cases pending against the accused. These factors by them-selves cannot be the basis for refusal of prayer for bail." इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में पूर्व के आपराधिक रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा अभियोजन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियुक्त पवन के कब्जे से अल्प मात्रा से कुछ ही अधिक मात्रा में स्मैक बरामद की गई है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश न्यायालय किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.09.2025 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में सहअभियुक्त चन्द्रप्रकाश की इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2025 को जमानत ली जा चुकी है। अभियुक्त पवन का मामला सहअभियुक्त चन्द्रप्रकाश से भिन्न प्रकृति का नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना निर्मूल नहीं है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के तथ्यों परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7- अतः प्रार्थी/अभियुक्त **पवन** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस प्रकरण में स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद स्वयं का मुचलका तादादी 1,00,000/- रूपये तथा 50,000-50,000/- राशि की दो जमानत

प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

8- आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
(एन०डी०पी०एस० प्रकरण)
झालावाड़

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MIRZA MOHAMMAD HUSSAIN
Digitally signed by MIRZA MOHAMMAD HUSSAIN
Date: 2026.03.12 12:50:54 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।